(iii)	The Transfer of Property (Amendment) Bill, 2002.	1 Hour
(iv)	The Indian Evidence (Amendment) Bill, 2002.	2 Hour
(v)	The Representation of People (Second Amendment) Bill, 2002.	1 Hour
(vi)	The Special Protection Group (Amendment) Bill, 2002.	1 Hour
(vii)	The Companies (Second Amendment) Bill, 2001.	2 Hours
2.	Consideration and return of the Appropriation (Railways) No. 5 Bill, 2002, after it has been passed by Lok Sabha.	2 Hours
3.	Consideration and adoption of recommendations of Railway Convention Committee (RCC)(1999) contained in their 5th Report on rate of Dividend for 2002-03 and other ancillary matters.	(To be discussed together

MOTION FOR ELECTION TO THE COURT OF THE ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं:—

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 के अधीन बनाए गए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियम के परिनियम 14 के खंड 2 के साथ पठित खंड 1 की मद (24) के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO THE SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, THIRUVANANTHAPURAM

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं:

"श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसिज़ एण्ड टेकनोलॉजी, तिरुअनंतपुरम

अधिनियम, 1980 (1980 का संख्यांक 52) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 के खण्ड (जे) के अनुसरण में यह सभा उस रीति से, जैसे सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसिज़ एण्ड टेकनोलॉजी, तिरुअनंतपुरम का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO THE ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं:—

"अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 4 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (जे) के अनुसरण में यह सभा उस रीति से जैसा सभापति निदेश दें सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को श्री अखिलेश दास के 25.11.2002 को राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें।"

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI O. RAJAGOPAL): Madam, I move the following Motion:—

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Mamber from Rajya Sabha, to associate with the Committee on Public Undertakings of the Lok Sabha for the unexpired portion of the term of the Committee vice Shri Vikram Verma who cease to be a Member of the Committee on his appointment as Minister and do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.